राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के सफल क्रियान्वयन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले मुखिया को पुरस्कृत एवं सम्मानित करने के मापदंडः–

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग के स्थापना दिवस 9 दिसम्बर को प्रत्येक जिला के तीन पंचायतों के मुखिया को सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। प्रत्येक जिला से खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 से सम्बन्धित योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले तीन मुखिया को राँची में समारोह आयोजित कर क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।

निम्न मापदण्डों के आधार पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार का निर्धारण किया जाएगा।

- **जनवितरण प्रणाली**

1. (A) जनवितरण प्रणाली के अन्तर्गत कितने लाभुकों को राशन डीलर से कम अनाज दिये जाने एवं अधिक राशि लिये जाने की शिकायत का निदान कराया एवं कितने लाभुकों को राशन के साथ रसीद न देने की शिकायत का निवारण कराया। प्रमाण सहित सभी लाभुकों का नाम, मोबाइल नं0 एवं पता।
   (B) निगरानी समिति की कुल आयोजित बैठक एवं उसकी कार्यवाही की प्रति आयोग को उपलब्ध कराना। *(कुल अंक–20)*

- **आंगनबाड़ी केन्द्र (ICDS)**

2. आंगनबाड़ी केन्द्रों में सुधार लाने की दिशा में किये गये प्रयासों एवं निगरानी के प्रमाण के साथ कुल कितने गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को लाभ पहुँचाने में मदद की गई। आंगनबाड़ी केन्द्र में नामांकित बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के प्रयास एवं छूटे हुए सुयोग्य बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्र में नामांकित कराने के प्रयास, प्रमाण सहित। *(कुल अंक–20)*

- **मध्याह्न भोजन (MDM)**

3. विद्यालयों में बच्चों को नियमित रूप से सरकार द्वारा निर्धारित मेन्यू के अनुसार भोजन उपलब्ध कराने एवं माता समिति की नियमित पारदर्शी बैठक कराने के प्रयास, प्रमाण सहित।
   (कुल अंक–15)

- **कुपोषण उपचार केन्द्र (MTC) और जननी सुरक्षा योजना**

4. पंचायत में कुपोषित बच्चों की पहचान एवं उपचार में किये गये प्रयासों के प्रमाण नाम, पता सहित। इसके अलावे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एवं जननी सुरक्षा योजना के तहत् कितनी माँ–बहनों को लाभ पहुँचाया गया ? लाभुकों की संख्या प्रमाण सहित। ***(कुल अंक–15)***

- **प्रचार–प्रसार एवं अधिनियम का क्रियान्वयन**

5. पंचायत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों एवं इसके अन्तर्गत योजनाओं के प्रचार–प्रसार में उठाये गये कदम के प्रमाण। ***(कुल अंक–15)***

- **आकस्मिक खाद्यान्न सुरक्षा निधि**

6. आकस्मिक खाद्यान्न सुरक्षा निधि से सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार गैर राशन कार्डधारी जरूरतमंद जिन्हें खाद्यान्न का संकट है, ऐसे कितने लोगों की पहचान कर उन्हें खाद्यान्न उपलब्ध कराना, प्रमाण सहित विवरण। ***(कुल अंक–15)***

सभी छह वर्गों के कुल 100 अंक हैं। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार का निर्धारण जिले में प्राप्तांक के आधार पर किया जाएगा। मूल्यांकन के लिए एक चयन समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति में स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, महिला, बाल विकास विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिव द्वारा मनोनित एक–एक संयुक्त सचिव स्तर के पदाधिकारी होंगे। सदस्य सचिव, राज्य खाद्य आयोग समिति के संयोजक होंगे।

कुल 100 अंकों में से जिले में क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहने वाले मुखिया को पुरस्कृत और सम्मानित किया जायेगा।